

Order sheet [Contd]

case No. BA -58 / 2018

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
<p>22.02.18</p> <p>03:00 pm</p> <p>to</p> <p>03:15 pm</p>	<p>आवेदक / आरोपीगण बेताल सिंह द्वारा श्री बी.एस. गुर्जर अधिवक्ता उपस्थित। राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उप०।</p> <p>आवेदक के जमानत आवेदनपत्र के साथ आवेदक के भाई बंटी कुशवाह का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदनपत्र एवं शपथपत्र में यह बताया गया है कि यह आवेदक का प्रथम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा- 439 द.प्र.सं. का है, इस प्रकृति का कोई अन्य आवेदनपत्र समक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही निरस्त हुआ है, और न ही विचाराधीन है। ऐसा ही अभिलेख से स्पष्ट है।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त के जमानत आवेदनपत्र पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये। आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि आवेदक का उक्त कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है। आवेदक निर्दोष है। उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है। ओवदक मजदूर पेशा व्यक्ति होकर नवयुवक है और मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से अपने वृद्ध माता पिता का भरण पोषण कर पता है। प्रर्थी लगभग तीन-चार माह से न्यायिक अभिरक्षा होकर उपजेल जौरा में बंदी है। यदि आवेदक को अधिक दिनों तक न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया तो उसका मजदूरी का कार्य प्रभावित होगा। विरोधियों द्वारा रंजिशन आवेदक की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए कुचक रचा गया है। आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गयी है।</p> <p>राज्य की घोर विरोध करते हुए जमानत आवेदनपत्र निरस्त किए जाने पर बल दिया गया है।</p> <p>उभयपक्ष को सुने जाने व प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार दि०- 25/04/17 की शाम 6-7 बजे फरियादी संतोष जाटव के पिता रामसनेही घर से खाना खाकर टावर पर ड्यूटी के लिये गए थे, जब वह सुबह लौटकर नहीं आए तो संतोष जाटव ने मिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड सर्वा के पुरा के पास बी.एस.एन.एल. टावर कैम्पस पर जाकर देखा तो टावर के गेट का ताला टूटा हुआ जमीन पर पड़ा था। संतोष के पिता रामसनेही की लाश औंधे मुंह पड़ी थी तथा हाथ-पैर पीछे की ओर बंधे थे तथा मुंह व गले में साफी का फंदा पड़ा था, पैर के पंजे, बाजू, आंखों में चोटों के निशान थे। खाट व दरी में खून लगा था एवं खाट के नीचे खून पड़ा था। संतोष के द्वारा पुलिस को सूचना देने पर मौके पर पुलिस आ गयी। घटनास्थल पर ही देहाती नालिसी लिखी गयी। रामसनेही की हत्या ताला तोड़कर चोरी करते समय रामसनेही के द्वारा विरोध करने पर की गयी।</p> <p>दौराने अनुसंधान यह तथ्य सामने आया कि दिनांक- 25 एवं 26/04/17 की रात्रि में बंटी उर्फ केशव राठौर, रिकू उर्फ योगेश, भूपेन्द्रसिंह गुर्जर, विजय राठौर, बंटी उर्फ केशव का भाई रामजीत, बेताल कुशवाह तथा दौजी राठौर ने मिलकर ग्राम सर्वा के पुरा के पास मोबाइल के टावर से 24 बैट्रियां डकैती कर ले गये थे। टावर</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>पर चौकीदार के द्वारा विरोध करने पर उसे बांधकर मुंह व गले में फंदा लगाकर तथा सरियों से मारपीट कर हत्या कर बैट्रियां ले गये। केशव उर्फ बंटी राठौर से लोहे की एक रिंच, 05 बैट्रियां एक्साइड कंपनी की, योगेश उर्फ रिकू से एक 315 बोर का कटटा, 02 जिंदा कारतूस, विजय राठौर से 315 बोर का एक कटटा, 02 जिंदा कारतूस, एक सफारी गाडी काले रंग की जिस पर नंबर प्लेट एम.पी.07 बी.ए.- 2062 लिखा है, व 02 बैट्रियां, भूपेन्द्र उर्फ भूपे गुर्जर से एक सरिया लोहे का एवं काले रंग की 03 बैट्रियां, रिकू उर्फ योगेश से 07 काले रंग की बैट्रियां, जब्त की गयी हैं। अभिलेख से स्पष्ट है कि रिकू उर्फ योगेश के विरुद्ध 13 अन्य आपराधिक प्रकरण, बंटी उर्फ केशव के विरुद्ध आवेदक / आरोपीगण बेटाल सिंह द्वारा श्री बी.एस. गुर्जर अधिवक्ता उपस्थित।</p> <p>राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उप0।</p> <p>आवेदक के जमानत आवेदनपत्र के साथ आवेदक के भाई बंटी कुशवाह का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदनपत्र एवं शपथपत्र में यह बताया गया है कि यह आवेदक का प्रथम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा- 439 द.प्र.सं. का है, इस प्रकृति का कोई अन्य आवेदनपत्र समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही निरस्त हुआ है, और न ही विचाराधीन है। ऐसा ही अभिलेख से स्पष्ट है।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त के जमानत आवेदनपत्र पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये।</p> <p>आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि आवेदक का उक्त कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है। आवेदक निर्दोष है। उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है। आवेदक मजदूर पेशा व्यक्ति होकर नवयुवक है और मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से अपने वृद्ध माता पिता का भरण पोषण कर पता है। प्रथी लगभग तीन-चार माह से न्यायिक अभिरक्षा होकर उपजेल जौरा में बंदी है। यदि आवेदक को अधिक दिनों तक न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया तो उसका मजदूरी का कार्य प्रभावित होगा। विरोधियों द्वारा रंजिशन आवेदक की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए कुचक रचा गया है। आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गयी है।</p> <p>राज्य की घोर विरोध करते हुए जमानत आवेदनपत्र निरस्त किए जाने पर बल दिया गया है।</p> <p>उभयपक्ष को सुने जाने व प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार दि0- 25/04/17 की शाम 6-7 बजे फरियादी संतोष जाटव के पिता रामसनेही घर से खाना खाकर टावर पर ड्यूटी के लिये गए थे, जब वह सुबह लौटकर नहीं आए तो संतोष जाटव ने भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड सर्वा के पुरा के पास बी.एस.एन.एल. टावर कैम्पस पर जाकर देखा तो टावर के गेट का ताला टूटा हुआ जमीन पर पड़ा था। संतोष के पिता रामसनेही की लाश आँधे मुंह पड़ी थी तथा हाथ-पैर पीछे की ओर बंधे थे तथा मुंह व गले में साफी का फंदा पड़ा था, पैर के पंजे, बाजू, आखों में चोटों के निशान थे। खाट व दरी में खून लगा था एवं खाट के नीचे खून पड़ा था। संतोष के द्वारा पुलिस को सूचना देने पर मौके पर पुलिस आ</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>गयी। घटनास्थल पर ही देहाती नालिसी लिखी गयी। रामसनेही की हत्या ताला तोड़कर चोरी करते समय रामसनेही के द्वारा विरोध करने पर की गयी।</p> <p>दौराने अनुसंधान यह तथ्य सामने आया कि दिनांक- 25 एवं 26/04/17 की रात्रि में बंटी उर्फ केशव राठौर, रिकू उर्फ योगेश, भूपेन्द्रसिंह गुर्जर, विजय राठौर, बंटी उर्फ केशव का भाई रामजीत, बेताल कुशवाह तथा दौजी राठौर ने मिलकर ग्राम सर्वा के पुरा के पास मोबाइल के टावर से 24 बैट्रियां डकैती कर ले गये थे। टावर पर चौकीदार के द्वारा विरोध करने पर उसे बांधकर मुंह व गले में फंदा लगाकर तथा सरियों से मारपीट कर हत्या कर बैट्रियां ले गये। केशव उर्फ बंटी राठौर से लोहे की एक रिच, 05 बैट्रियां एक्साइड कंपनी की, योगेश उर्फ रिकू से एक 315 बोर का कटटा, 02 जिंदा कारतूस, विजय राठौर से 315 बोर का एक कटटा, 02 जिंदा कारतूस, एक सफारी गाडी काले रंग की जिस पर नंबर प्लेट एम.पी.07 बी.ए.- 2062 लिखा है, व 02 बैट्रियां, भूपेन्द्र उर्फ भूपे गुर्जर से एक सरिया लोहे का एवं काले रंग की 03 बैट्रियां, रिकू उर्फ योगेश से 07 काले रंग की बैट्रियां, जब्त की गयी हैं। अभिलेख से स्पष्ट है कि रिकू उर्फ योगेश के विरुद्ध 13 अन्य आपराधिक प्रकरण, बंटी उर्फ केशव के विरुद्ध 08 आपराधिक प्रकरण, विजय राठौर के विरुद्ध 06 आपराधिक प्रकरण, भूपेन्द्र सिंह के विरुद्ध 06 आपराधिक प्रकरण हैं। इस मामले में अभियुक्त के द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर घातक हथियारों से सुसज्जित होकर हत्या सहित डकैती की गयी है।</p> <p>म0प्र0 डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 की धारा-5(2) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि जमानत आवेदन का विरोध किया गया हो, तो आवेदन मंजूर नहीं किया जाएगा।</p> <p>इस प्रकार धारा-5(2) के तहत विरोध किए जाने पर जमानत मंजूर किए जाने का वर्जन है। अतः आवेदक बेताल सिंह का प्रथम नियमित जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।</p> <p><u>प्रकरण आरोपी तर्क हेतु दिनांक 08.03.18 को पेश हो।</u></p> <p style="text-align: right;">(मोहम्मद अजहर) विशेष न्यायाधीश, डकैती गोहद जिलाभिण्ड</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)